(वाद सं0–6269/4/6/2020)

23.06.2022

नोटिस के बावजूद परिवादी, शिव कुमार प्रसाद, उपस्थित नहीं हुए।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, शिव कुमार प्रसाद उर्फ शिव कुमार पंडित को अक्टूबर 2019 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद करने तथा उसके बाद वृद्धा पेंशन का भुगतान न करने से संबंधित है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को वृद्धा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। परिवादी द्वारा स्वयं राज्य आयोग में एक आवेदन समर्पित कर वृद्धा पेंशन का भुगतान होने की संपुष्टि किया गया है।

आज परिवादी को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु अनुरोध किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी परिवादी राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

अब, जबकि परिवादी की शिकायत का सक्षम प्राधिकार के स्तर संतोषप्रद समाधान किया जा चुका है जिसकी संपुष्टि परिवादी द्वारा भी किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक